भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 15

(सोमवार, 20 जुलाई, 2026/29 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

कारपोरेट क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उपाय

15. डॉ. गुम्मा तनुजा रानीः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के पण्य वस्तु निर्यात ने वित्तीय वर्ष 2024-25 और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बीच लगभग 4377 बिलियन अमरीकी डॉलर के स्तर पर अपेक्षाकृत स्थिर स्तर बनाए रखा है लेकिन आर्थिक जटिलता विश्लेषण से पता चलता है कि आर्थिक जटिलता सूचकांक में भारत 145 देशों में से 44वें स्थान पर है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय फर्मों में कॉरपोरेट क्षमता निर्माण, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार को सुविधाजनक बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ताकि वे और अधिक जटिल उत्पादों का उत्पादन और निर्यात कर सकें;

(ग) वैश्विक स्तर पर पैर जमाने, प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखलाओं में समेकित करने की इच्छुक भारतीय कंपनियों द्वारा रणनीतिक विलय और अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाने के लिए कौन-कौन से केन्द्रीय सहायता तंत्र उपलब्ध हैं; और

(घ) भारत के नवाचार और अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, तीव्र गति से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत ने भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, व्यापार विखंडन, उच्च मुद्रास्फीति तथा वस्तु बाजारों में अस्थिरता जैसी वैश्विक अनिश्चितताओं की अवधि का सफलतापूर्वक सामना किया है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत के व्यापार क्षेत्र ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 863.1 अरब अमेरिकी डॉलर के साथ सर्वाधिक वार्षिक निर्यात दर्ज किया है। वस्तु

निर्यात वित्तीय वर्ष 2014-15 के 310 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 441.8 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है। समय के साथ भारत के निर्यात की गुणवत्ता तथा जटिलता में भी सुधार हुआ है। ऑब्जर्वेटरी ऑफ इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी (ओईसी) के अनुसार, आर्थिक जटिलता सूचकांक (ईसीआई) में भारत की रैंकिंग वर्ष 2019 में 43वें स्थान से सुधरकर वर्ष 2024 में 39वें स्थान पर पहुँच गई है। यह सुधार भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में बेहतर विविधता तथा प्रौद्योगिकी-प्रधान निर्यात में अधिक भागीदारी का द्योतक है।

(ख) एवं (घ): केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (आरडीआई) योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत एआई, रोबाटिक्स, क्वांटम, अंतरिक्ष, जैव-प्रौद्योगिकी, जैव-विनिर्माण तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था संबंधी एप्लीकेशन जैसी सामरिक प्रौद्योगिकियों के लिए दीर्घकालिक, कम अथवा शून्य ब्याज पर वित्तपोषण तथा जोखिम/विकास पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। यह योजना अनुसंधान नैशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ अधिनियम, 2023), राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय अर्धचालक मिशन, डीप ओशन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, इंडिया एआई मिशन तथा भू-स्थानिक नीति, 2022, अंतरिक्ष नीति, 2023 आदि जैसी पूर्ववर्ती पहलों एवं सक्षमकारी नीतियों का पूरक है, जिनका उद्देश्य भारत के नवाचार तंत्र को सुदृढ़ करना है।

एमसीए कंपनी अधिनियम, 2013 का प्रशासन करता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अंतर्गत, एमसीए कंपनियों को सीएसआर निधियों का उपयोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार की किसी एजेंसी द्वारा वित्तपोषित विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा (एसटीईएम) के क्षेत्र में ऊष्मायन केंद्रों अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में अंशदान हेतु सीएसआर निधियों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करता है। कंपनियाँ आईआईटी, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, एमईआईटीवाई, आईसीएमआर तथा सीएसआईआर द्वारा स्थापित ऐसे सार्वजनिक वित्तपोषित विश्वविद्यालयों एवं स्वायत्त निकायों, जो एसटीईएम के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, को सीएसआर के अंतर्गत अंशदान कर सकती हैं। ऐसे अंशदान अनुसंधान एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की महत्त्वपूर्ण कमियों को दूर करने में सहायक होते हैं।

(ग): कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 233 के अंतर्गत प्रारंभ किए गए त्वरित विलय मार्ग के माध्यम से कंपनियों की कुछ श्रेणियों को उनके विलय एवं समामेलन की योजनाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय

कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के बजाय प्रादेशिक निदेशक (आरडी) से समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की गई है।

एमसीए ने कंपनी (समझौते, व्यवस्थाएँ एवं समामेलन) नियम के नियम 25क में संशोधन करके धारा 233 के अंतर्गत त्वरित विलय मार्ग के माध्यम से सीमापार विलयों की अनुमति प्रदान की है। पात्र कंपनियों को अब एनसीएलटी से अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय, योजना का अनुमोदन सीधे एमसीए के प्रादेशिक निदेशालयों (आरडी) द्वारा किया जाता है। विदेशी होल्डिंग/मूल कंपनी अपनी पूर्ण स्वामित्वाधीन भारतीय सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) में सुव्यवस्थित त्वरित विलय ढाँचे के माध्यम से सीधे विलय कर सकती है। यह व्यवस्था उन स्टार्ट-अप तथा समूह कंपनियों (कांग्लोमरेट) के लिए एक महत्त्वपूर्ण नियामकीय सुविधा के रूप में कार्य करता है, जो पुनः भारत में "रिवर्स फ्लिप" करना चाहते हैं।

आर्थिक कार्य विभाग ने विदेशी विनिमय प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 के उपबंधों के अंतर्गत 24 जनवरी, 2024 को अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्रत्यक्ष सूचीकरण योजना अधिसूचित की। इसका उद्देश्य भारत में निगमित सार्वजनिक कंपनियों को अनुज्ञेय अधिकारिताओं में निर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर अपने इक्विटी शेयरों के प्रत्यक्ष सूचीकरण के माध्यम से वैश्विक पूंजी बाजारों तक पहुँच प्रदान करना है। इसके साथ ही, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (अनुज्ञेय अधिकारिताओं में इक्विटी शेयरों का सूचीकरण) नियम, 2024 अधिसूचित किए। वर्तमान में यह रूपरेखा असूचीबद्ध सार्वजनिक भारतीय कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयरों का सूचीकरण करने तथा पूंजी जुटाने के लिए दोनों बाजारों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान करती है, अर्थात् घरेलू बाजार से भारतीय रुपये (आईएनआर) में तथा आईएफएससी स्थित अंतरराष्ट्रीय बाजार से वैश्विक निवेशकों के माध्यम से विदेशी मुद्रा में पूंजी जुटाने का विकल्प उपलब्ध है। यह पहल विशेष रूप से उन भारतीय कंपनियों के लिए लाभकारी होगी जो वैश्विक स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहती हैं तथा अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की आकांक्षा रखती हैं।
